उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः292677/XXX(2)/2025-E 74309
देहरादूनः दिनांकः25 अप्रैल, 2025

अधिसूचना संख्याः 292473/XXX(2)/2025-E 74309 दिनांक 25 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियाँ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

Digitally signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 25-04-2025
18:32:35

आज्ञा से,

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 292473/XXX(2)/2025-E 74309
देहरादूनः दिनांकः 25 अप्रैल, 2025

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 (जिसे एतस्मिनपश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 4 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष अभिप्रेत है।	(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से निम्नलिखित् अभिप्रेत है– (i) जनपदीय कोषागारों / उपकोषाागारों के सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी होंगे; (ii) निदेशालय, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के अधीन कार्यरत कोषागारों / उपकोषागारों / मुख्यालय में कार्यरत सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी होंगे;

Scanned with OKEN Scanner

(iii) उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय विभागों में कार्यरत सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, विभागीय लेखा होंगे।

नियम 5 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय। (2) अधीनस्थ लेखा संवर्ग के संयुक्त संवर्ग में सहायक लेखाकार और लेखाकार के पद सम्मिलित होंगे। (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। (ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई एवं अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।	(1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय; परन्तु यह कि सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों की संख्या, इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विभिन्न सरकारी विभागों में सृजित पदों की कुल संख्या के बराबर होगी; परन्तु यह और कि कोषागार विभाग के जनपदीय एवं निदेशालय स्तर पर सृजित सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों को छोड़कर विभिन्न सरकारी विभागों की आवश्यकता के दृष्टिगत यथास्थिति सहायक लेखाकार और/अथवा लेखाकार के पदों को शासन की पूर्वानुमति से निदेशक, विभागीय लेखा द्वारा पुनःआवंटन किया जा सकेगा। (2) निदेशक, विभागीय लेखा, जो संयुक्त संवर्ग (कोषागार विभाग को छोड़ते हुए) का नियंत्रक प्राधिकारी होगा, के नियंत्रण के अधीन सरकारी विभागों (कोषागार विभाग को छोड़ते हुए) हेतु अधीनस्थ लेखा संवर्ग का एक संयुक्त संवर्ग होगा। (3) अधीनस्थ लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार और लेखाकार के पद सम्मिलित होंगे; (क) परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी

Scanned with OKEN Scanner

रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा;

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई एवं अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

नियम 10 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नियम 10 में शब्दों "लेखाकार एवं" को विलोपित कर दिया जायेगा।

नियम 18 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 18 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) लेखाकार के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :– (क) नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष (ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट 02 अधिकारी – सदस्य (ग) वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी – सदस्य किन्तु यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य में से कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति में से किसी अधिकारी को जो संयुक्त निदेशक से निम्न न हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा।	(1) लेखाकार के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :– (क) नियुक्ति प्राधिकारी – अध्यक्ष (ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट 02 अधिकारी – सदस्य (ग) वित्त एवं लेखा/लेखा परीक्षा (ऑडिट) विभाग के अधिकारी – सदस्य परन्तु यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य में से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से किसी अधिकारी को जो संयुक्त निदेशक से निम्न न हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

नियम 22 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया

Scanned with OKEN Scanner

गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय—समय पर यथा संशोधित, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।	22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय—समय पर यथा संशोधित, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी; परन्तु इस नियमावली के प्रभावी होने से पूर्व विभिन्न सरकारी विभागों में मौलिक रूप से सहायक लेखाकार या लेखाकारों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की संयुक्त ज्येष्ठता अपने—अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर अवधारित की जायेगी; परन्तु यह और कि यदि भिन्न—भिन्न सरकारी विभागों में दो या अधिक व्यक्तियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही हो तो आयु में ज्येष्ठ/अधिक व्यक्ति को ऊपर रखा जायेगा; परन्तु यह भी कि यदि भिन्न—भिन्न सरकारी विभागों में दो या अधिक व्यक्तियों की जन्म की दिनांक भी एक ही हो तो उनके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते हुए ज्येष्ठता अवधारित की जायेगी।

Digitally signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 25-04-2025
15:01:28

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no.292473....../XXX(2)/2025-E74309 dated.25.April, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
No. 292473 /XXX(2)/2025-E 74309
Dehradun, Dated 25 April, 2025

Notification
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend in the "The Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non-Gazetted) Service Rules, 2019" namely :-

The Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non-Gazetted) Service (Amendment) Rules, 2025

Short title, extent and Commencement 1 (1) These rules may be called The Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non-Gazetted) Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 4 2. In The Uttarakhand Government Department Subordinate Accounts Cadre (Non-Gazetted) Service Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules), for clause (a) of the existing rule 4, as set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Clause	Column-2 Clause here by Substituted
	(a) "Appointing Authority" means the following- (i) The District Magistrate of the concerned district shall be the Appointing Authority for the Assistant Accountant and Accountant of the District Treasuries/Sub-Treasuries; (ii) The Director, Treasury, Pension and

Scanned with OKEN Scanner

(a) "Appointing Authority" means the Head of the Department/Head of the Office.	Entitlement shall be the Appointing Authority for the Assistant Accountant and Accountant working in the Treasuries/Sub-Treasuries/Headquarters working under the Directorate, Treasury, Pension and Entitlement; (iii) Apart from the above, the Director, Departmental Accounts shall be the Appointing Authority for the Assistant Accountant and Accountant working in all other Government Departments.

Amendment of rule 5

3. In the principal rules, for the existing rule 5 as set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **Rule here by Substituted**
(1) The strength of the member in service and the each category of the posts therein shall be such as may be determined by the government from time to time. (2) Until orders varying the source are issued under sub-rule (1) the number of posts in each category shall be such as given in Annexure;:- Provided that the appointing authority may leave any post vacant in any category unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or Provided further the Governor may create such additional temporary or permanent post in each	(1) The strength of employees/officers in the service and the number of posts in each category therein shall be such as may be determined by the Government from time to time: Provided that the strength of posts of Assistant Accountant and Accountant shall be equal to the total number of posts created in various Government Departments at the time of commencement of these Rules: Provided further that except the posts of Assistant Accountant and Accountant created at the District and Directorate level of the Treasury Department, the posts of Assistant Accountants/or Accountants in various government departments may be reallocated by the Director, Departmental Accounts, with prior approval of the government. (2) There shall be a joint cadre of Subordinate Accounts for Government Departments (except Treasury

Scanned with OKEN Scanner

category as he may consider proper	Department) under the control of Director, Departmental Accounts, who shall be the controlling authority of the joint cadre (except Treasury Department). (3) The Subordinate Accounts cadre shall include the posts of Assistant Accountant and Accountant: Provided that:- (a) The Appointing Authority may leave any post unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation. (b) The Governor may create such permanent and temporary posts as he may consider proper.

Amendment of rule 10

4. In the principal rules, in the existing rule 10 the word "Accountant and" shall be omitted.

Amendment of rule 18

5. In the principal rules, for the existing sub-rule (1) of rule 18 as set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing Sub-rule**	**Column-2** **Sub-rule here by Substituted**
Recruitment by promotion shall be made on the following basis (1) Recruitment by promotion, on the post of Accountant shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, through the following selection	(1) Promotion to the post of Accountant shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection unfit through the following Selection Committee:- (a) Appointing Authority - Chairman (b) 02 officers nominated by the Appointing Authority - Member (c) Officers of Finance & Accounts/Audit Department - Member

Scanned with OKEN Scanner

committee:-
(a) Appointing Authority - Chairman
(b) 02 Officers nominated by the chairman - Member
(c) Finance Controller/Finance Officer - Member

Provided if in the Committee, the chairman or any member is not from the Scheduled Casts/Scheduled Tribes, Appointing Authority shall nominate an officer not below the rank of Joint Director, from Scheduled Castes/Scheduled Tribes,

(2) The Appointing Authority shall Prepare an eligibility list of candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2) and, if it considers necessary, if may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in the order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

Provided that if in the Selection Committee constituted as above, neither the Chairman nor the Member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribes, then the Appointing Authority shall nominate an officer from Scheduled Caste/Scheduled Tribes not below the rank of Joint Director as a member.

Scanned with OKEN Scanner

Amendment of rule 22

5. In the principal rules, for the existing rule 22 as set out-in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely:-

Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **Rule here by Substituted**
22. The seniority of persons substantively appointed to any category of post shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time;	22. The seniority of persons substantively appointed to any category of post in the service shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time: Provided that the combined seniority of persons substantively appointed to the posts of Assistant Accountant or Accountants in different Government Departments before these rules comes into effect, shall be determined on the basis of the date of their substantive appointment in their respective cadres: Provided further that if the date of substantive appointment of two or more persons in different Government Departments is the same, then the person senior/more in age shall be placed higher; Provided also that if the date of birth of two or more persons substantively appointed in different Government Departments is also the same, then seniority shall be determined by keeping the first letter of their names in English alphabetical order.

By order,

Lalit Mohan Rayal
Addtional Secretary.

Scanned with OKEN Scanner